संख्या-117/2017/2162/22-2-2016-17(246)/2016

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ :दिनांक 27 फरवरी, 2017**

विषय:- जिला कारागार, सिद्धार्थनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अनन्तराम पुत्र श्री राम कलप यादव, निवासी जनपद-फैजाबाद की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34860/प्रोबेशन-3 (एम-06-09-2016) दिनांक-26-09-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 26-09-2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी अनन्तराम पुत्र श्री राम कलप यादव, ग्राम-सौरीकोट, थाना-रौनाही, जनपद-फैजाबाद का निवासी है। दिनांक 20.07.2001 को प्रात: 10:00 बजे गांव में कुत्ते को दौडाने एवं उसे मारने पर विपक्षी द्वारा रोके जाने पर बन्दी ने बलकरन एवं पार्वती देवी के सिर में लाठी से मारकर उनकी हत्या कर दी तथा 01 अन्य को लाठी से मारकर घायल कर दिया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-13/2002 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34,307, 307/34 तथा धारा-3(2)(5) अनु0जाति और अनु0जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम में मा0 विशेष न्यायाधीश, एस0सी0एस0टी0एक्ट, फैजाबाद द्वारा दिनांक 30.03.2007 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, उक्त दण्ड के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ में अपील लम्बित है। बन्दी की उम्र-46 वर्ष है। बन्दी द्वारा दिनांक 04.05.2016 तक 14 वर्ष 09 माह 14 दिन की अपरिहार तथा 16 वर्ष 11 माह 19 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण संतोषजनक है। बन्दी के 02 सहअभियुक्त जमानत पर कारागार से रिहा है। जिला मजिस्ट्रेट, फैजाबाद की अध्यक्षता में दिनांक 22.01.2016 को सम्पन्न बैठक में बन्दी अनन्त राम पुत्र श्री रामकल्प की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अपने अभिमत में अंकित किया है कि बन्दी द्वारा गांव मे कुत्ते को दौडाने एवं मारने पर विपक्षी द्वारा राके जाने पर बन्दी ने बलकरन एवं पार्वती देवी के सिर में लाठी से मारकर हत्या करने तथा 01 अन्य को लाठी से मारकर घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी की आयु-46 वर्ष है, जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी स्वस्थ्य है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी अनन्तराम पुत्र श्री राम कलप यादव को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी अनन्तराम (बन्दी संख्या-439/2008) पुत्र श्री राम कलप यादव, निवासी जनपद-फैजाबाद के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-117/2017/2162(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-फैजाबाद।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, सिद्धार्थनगर।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-117/2017/2162@22-2-2016-17(246)/2016

दिनांक 27 फरवरी, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

जिला कारागार, सिद्धार्थनगर में निरूद्ध बन्दी अनन्तराम पुत्र श्री राम कलप यादव, ग्राम-सौरीकोट, थाना-रौनाही, जनपद-फैजाबाद का निवासी है। दिनांक 20.07.2001 को प्रात: 10:00 बजे गांव में कुत्ते को दौडाने एवं उसे मारने पर विपक्षी द्वारा रोके जाने पर बन्दी ने बलकरन एवं पार्वती देवी के सिर में लाठी से मारकर उनकी हत्या कर दी तथा 01 अन्य को लाठी से मारकर घायल कर दिया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-13/2002 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34,307, 307/34 तथा धारा-3(2)(5) अनु0जाति और अनु0जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम में मा0 विशेष न्यायाधीश, एस0सी0एस0टी0एक्ट, फैजाबाद द्वारा दिनांक 30.03.2007 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, उक्त दण्ड के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ में अपील लम्बित है। बन्दी की उम्र-46 वर्ष है। बन्दी द्वारा दिनांक 04.05.2016 तक 14 वर्ष 09 माह 14 दिन की अपरिहार तथा 16 वर्ष 11 माह 19 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण संतोषजनक है। बन्दी के 02 सहअभियुक्त जमानत पर कारागार से रिहा है। जिला मजिस्ट्रेट, फैजाबाद की अध्यक्षता में दिनांक 22.01.2016 को सम्पन्न बैठक में बन्दी अनन्त राम पुत्र श्री रामकल्प की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड ने अपने अभिमत में अंकित किया है कि बन्दी द्वारा गांव मे कुत्ते को दौडाने एवं मारने पर विपक्षी द्वारा राके जाने पर बन्दी ने बलकरन एवं पार्वती देवी के सिर में लाठी से मारकर हत्या करने तथा 01 अन्य को लाठी से मारकर घायल करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी की आयु-46 वर्ष है, जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी स्वस्थ्य है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी अनन्तराम पुत्र श्री राम कलप यादव को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।